

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल- 462004

क्रमांक- 970/159/आउशि/बजट/22
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/06/2022

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे विवरण में दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य के अंदर/बाहर निजी चिकित्सालय में कराए गये उपचार में व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं द्वितीय अभिमत के आधार पर प्रतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों में कमियों की पूर्ति बावत -वर्ष 2022-23

---0---


उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा राज्य अंदर/बाहर निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार में व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शासकीय चिकित्सालय में कराये गये उपचार की व्यय पर द्वितीय अभिमत के आधार पर प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन बावत प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त हुये है । इन प्रकरणों का विवरण एवं उनमें पाई गई कमियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम व पत्र क्र. /दि	शासकीय सेवक नाम व रोगी का नाम व संबंध एवं राशि	स्थिति
1	2	3	4
1	प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय पॉलीटेकनिक चौराहा भोपाल 478/17.05.2022	1. कु. जिगिषा नेमा, सहायक प्राध्यापक माताजी 30.03.2021-18.08.21 रु. 99,983/- 2. डॉ. श्रीमती आशा गौतम, प्राध्यापक, स्वयं 03.03.21-08.03.21 रु. 1,07,625/-	संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, भोपाल संभाग भोपाल के कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र दिनांक 04.01.2021 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त दोनो पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2	प्राचार्य, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर, 80/26.04.22	डॉ. प्रतिभा कुमार, प्राध्यापक स्वयं 27.08.20-30.08.2020 रु. 65,783/-	संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, जबलपुर संभाग जबलपुर के कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र दिनांक 18.04.22 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3.	प्राचार्य, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महावि. बालाघाट 196/19.04.2022	श्रीमती सुजाता साल्वे, प्राध्यापक स्वयं 12.05.2021-17.05.2021 रु. 1,18,514/-	संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, जबलपुर संभाग जबलपुर के कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र दिनांक 31.03.22 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त अभिमत सहित उपलब्ध कराये जाने पर आगामी कार्यवाही संभव होगी।

4.	प्राचार्य, शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महा.नर्मदापुरम 717/26.04.22	श्री.विजय सिंह राजपूत, प्रयोगशाला परिचारक स्वयं 21.03.2017 से निरंतर रु. 44,803/-	कार्यालय अधिष्ठाता गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 17.07.2019 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5.	प्राचार्य, शासकीय स्नातक महावि इछावर जिला-सीहोर 299-18.05.22	डॉ.आलोक शर्मा, प्राध्यापक, पत्नि 08.11.21-14.11.21 रु.80,385/-	प्राचार्य के पत्र के साथ संलग्न प्रकरण में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाए भोपाल के कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र दिनांक 06.05.2022 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेंगी।
6.	प्राचार्य, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महा.जबलपुर 43-20.04.22	श्री.विनोद कनौजिया, भृत्य स्वयं 25.09.2021-27.09.2021 रु.27,937/-	प्राचार्य के पत्र के साथ संलग्न प्रकरण में संभागीय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए जबलपुर के कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र दिनांक 29.03.2022 की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेंगी।

2. प्रायः यह देखा गया है कि इस कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराते समय प्राचार्य द्वारा अपने पत्र में इस कार्यालय के पत्र को संदर्भित नहीं किया जाता है और न ही संबंधित शासकीय सेवक के नाम व प्रकरण का पूर्ण विवरण इत्यादि अंकित किया जाता है और कमियों को पूर्ण निदान नहीं किया जाता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1681/444/आउशि/बजट/16 दिनांक 24.09.16 द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है। इस प्रकार महाविद्यालयों द्वारा प्रायः उक्तानुसार अपूर्ण प्रकरण प्रतिपूर्ति हेतु भेजे जाते है जिससे इनके निराकरण में अनावश्यक िलंब होता है।

3. अतः उक्त निर्देशों का पालन करते हुये उल्लेखित प्रकरणों में कॉलम-4 में दर्शायी गई स्थिति से अवगत होना चाहें एवं दर्शायी गई कमियों की पूर्ति कर उल्लेख अनुसार आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके। पत्र की प्रति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(डॉ. पूर्णिमा लोदवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 13/06/2022

पृ0क0/971 /159/आउशि/बजट/22
प्रतिलिपि:-

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय महाविद्यालय(ऊपर उल्लेख अनुसार), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश